न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 444/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती टीपूदेवी पत्नी मांगीलाल 2– हिरा पुत्री मांगीलाल 3– गीता पुत्री मांगीलाल अपीलांट संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती टीपूदेवी जातियान जाट निवासीगण जाखडो की ढाणी, सामराऊ तहसील ओसियां जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2018 अनवान तहसीलदार ओसियां बनाम टीपूदेवी वमैरा मे दिनांक 20–7–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12–1–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 तहसीलदार ओसियां की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये रास्ता अभियान जिसमे मौके का सर्वे करवाकर मौके पर चालू रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने हेतु पटवार मण्डल सामराऊ के राजस्व ग्राम जाखडो की ढाणी के प्रस्ताव संख्या 1 एकलखोरी रोड से एक रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया । जिसमे वर्तमान अपील के अपीलांटगण के भूमि के क्रमशः खसरा नंबरान 751/1 रकबा 15.17 बीघा भूमि मे से 1.01 बीघा, खसरा नंबर 752/1 मे से रकबा 2.05 बीघा, खसरा नंबर 754 रकबा 132.03 बीघा मे से 1.08 बीघा, खसरा नबर 755 रकबा 207.04 बीघा मे से 01 बीघा, खसरा नंबर 756/2 रकबा 53.14 बीघा भूमि मे से 0.08 बिस्वा, खसरा नंबर 756/3 रकबा 53.14 बीघा मे से 0.08 बिस्वा, खसरा नंबर 757 रकबा 67.09 बीघा मे से 0.08 बिस्वा, खसरा नंबर 757/2 रकबा 67.10 बीघा मे से 0.15 बिस्वा, खसरा नंबर 757/3 मे से रकबा 03 बीघा भूमि गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने अपीलांटगण को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके समक्ष तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–7–2018 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए

कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खातेदारान की खातेदारी की भूमि मे से सीधे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एवं धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायिक परिभाषा मे नही आता है क्योकि बिना सहमति के खातेदारो की खातेदारी की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता मे दर्ज नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–7–2018 को अपास्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो की उपस्थिति मे रास्तो का मौका निरीक्षण कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार ओसियां ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–7–2018 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध मे अपनाई की प्रकिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार ओसियां ने राजस्व ग्राम जाखडो की ढाणी के प्रस्ताव संख्या 1 एकलखोरी रोड से एक रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये अभियान के तहत जिसमे ग्राम जाखडो की ढाणी पटवार मण्डल सामडाऊ के खसरा नंबरान 751/1 रकबा 15.17 बीघा भूमि मे से 1.01 बीघा, खसरा नंबर 752/1 मे से रकबा 2.05 बीघा, खसरा नंबर 754 रकबा 132.03 बीघा मे से 1.08 बीघा, खसरा नबर 755 रकबा 207.04 बीधा मे से 01 बीघा, खसरा नंबर 756/2 रकबा 53.14 बीघा भूमि मे से 0.08 बिस्वा, खसरा नंबर 756/3 रकबा 53.14 बीधा मे से 0.08 बिस्वा, खसरा नंबर 757 रकबा 67.09 बीघा मे से 0.08 बिस्वा, खसरा नंबर 757/2 रकबा 67.10 बीधा मे से 0.15 बिस्वा, खसरा नंबर

757/3 मे से रकबा 03 बीघा भूमि को सम्मलित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया तथा प्रस्ताव के साथ मे खातेदारान के खातेदारी बाबत जमाबंदी की नकले पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मे वर्णित खसरा नंबरान के खातेदारो को सुने बिना तथा उनकी सहमति के बिना ही तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकबे की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रार्थना पत्र को धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्णित अवश्य किया है परंतु किसी भी खातेदार को बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये सीधे ही उनके खातेदारी मे से प्रस्तावित रकबा कम करते हुए गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी–बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–7–2018 मे वर्णित अपीलांटगण के खसरा नंबरान की भूमि मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि को गै0मु0रास्ते मे दर्ज करने बाबत पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटगण की उपस्थिति मे उसके खातेदारी के खेत मे से चल रहे कदीमी/चालू रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे सुनकर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि मे से रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना प्रस्ताव पृथक से बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 12–1–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर